प्रेषक,

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
बिजनौर।

सेवा में,

प्रबंधक,
एस के इंटरनेशनल प्रा0स्कूल, फीना, ब्लॉक–नूरपुर
जनपद–बिजनौर।

पत्रांक/बेसिक/मान्यता/ 10030-3/2007–08 दिनांक 20/3/08

विषयः– विद्यालय को प्राईमरी स्तर (कक्षा–1 से 5 तक) की नवीन अस्थायी मान्यता दिये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक सूच्य है कि आपके विद्यालय को प्राईमरी स्तर (कक्षा–1 से 5 तक) की नवीन अस्थायी मान्यता दिये जाने का प्रकरण जिला मान्यता समिति के समक्ष प्रस्तूत किया गया। मान्यता समिति के निर्णयानुसार आपके विद्यालय को प्राईमरी स्तर(कक्षा–1 से 5 तक) की नवीन अस्थायी मान्यता शासनादेश संख्या 1837/15–98–18(एस)–)/89 दिनांक 10 सितम्बर,1998 में दिये गये निर्देशानुसार निम्नलिखित शर्तो के साथ प्रदान की जाती हैः–

1–विद्यालय में अवैधानिक कक्षाओं जैसे के0जी0,नर्सरी,आदि का संचालन न किया जाय।
2–विमागीय आदेशों एवं बेसिक शिक्षा सचिता के अनुच्छेदों का पूर्णतः पालन किया जाय।
3–विद्यालय में आकस्मिक टूर्घटन से बचाव के संसाधन उपलब्ध होने आवश्यक हैं।
4–छात्रों से अवैधानिक शुल्क न लिया जाय अर्थात् निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क न लिया जाय।
5–विद्यालय में विभाग/उत्तर प्रदेश शासन द्वारा स्वीकूत पाट्यक्रम/पुस्तकों ही पढ़ाई जाय।
6–विद्यालय में शिक्षा हिन्दी माध्यम से ही दी जाय।
7–विद्यालय में अध्यापक/अध्यापिकायें प्रशिक्षित ही नियुक्त किये जायें। अप्रशिक्षित शिक्षकों के होते हुए विद्यालय को स्थायी मान्यता दिया जाना संम्भव न होगा।
8–विद्यालय में निर्धारित नाम के पक्के कमरे उपलब्ध होने आवश्यक है।
9–यह विद्यालय किसी अन्य विद्यालय से सम्बव्ध नहीं होगा।
10–स्थायी मान्यता हेतु 5 वर्ष में आवेदन करना अनिवार्य होगा तथा स्थायी मान्यता हेतु निर्धारित सभी शर्तो को इस अवधि में पूरा करना आवश्यक होगा। स्थायी मान्यता हेतु विद्यालय का अपना निजी भवन होना, समस्त अध्यापक प्रशिक्षित होना एवं भवन में समस्त कमरे पक्के पूर्ण होना अनियायें है।

यदि उक्त निर्देशों/विभागीय निर्देशों एवं इस कार्यालय द्वारा दिये गये निर्देशों का आपके द्वारा पालन नहीं किया जाता है,तो प्रदत्त मान्यता किसी भी समय विना पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकती है।

भवदीय

(कृषण कुमार सिंह)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
बिजनौर।

पृ0सं0/बेसिक/ /2007–08 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नाकिंत को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1–जिला समाज कल्याण अधिकारी/जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी/जिला पिछड़वर्ग कल्याण अधिकारी,जनपद–बिजनौर।
2–संबंधित सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी/नगर शिक्षा अधिकारी,जनपद–बिजनौर।

(वरूण कुमार सिंह)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
बिजनौर।

प्रेषक,

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
बिजनौर।

सेवा में,

प्रबन्धक,

एस के इंटरनेशनल (जूनियर हाई स्कूल फीना ब्लॉक नूरपुर
जनपद–बिजनौर।

पत्रांक / बेसिक / मान्यता / 7849–90 / 2007–08 दिनांक 15–1–2008

विषयः– असाधयली उच्च प्राथमिक स्तर (कक्षा–6 से 8 तक) की अस्थायी मान्यता के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक सूचत है कि माध्यमिक मान्यता समिति की बैठक में दिये गये निर्णय के 2681/15–6–95–18 एस(1)/89 वित्तति 21/15–92–18–एस(1)/89 वित्तति 11–5–90 एवं निदेंश / बेसिक / 3000, बेसिक शिक्षा परिषद, इलाहाबाद के पत्रांक(शिम)/ सामान्य–5 / 21716–22019 / 96–97 वित्तति 10–2–97 में दिये गये निर्देशानुसार आपके विद्यालय को कक्षा–6 से 8 तक की अस्थायी मान्यता यथ आदेश निर्गत होने की तिथि से निम्नलिखित शर्तों कां प्रथ्य पालन की जाती है–

1–प्राचार्य कक्षा हेतु एक मत होगा।
2–विद्यालय में अहित्यांपिक कक्षाओं जैसे के0जी0, नर्सरी, प्राईमरी, कक्षा–9,10 आदि का संचालन न किया जाये।
3–विनामेति आदेशों एवं बेसिक शिक्षा सचिव के अनुच्छेद का पूर्णतः पालन किया जाये।
4–विद्यालय में अनिवायव दृष्ध्न से बचाव के संचालन उपलब्ध होने आंवश्यक है।
5–छित्रों से अवैधांमिक शुल्क न लिया जाये अर्थात् निर्धारित शुल्क के अतिरिक्त शुल्क न लिया जाये।
6–छात्रों से विशाल / उत्तर प्रदेश शासन द्वारा स्वीकृत पाट्रयक्रम / पुस्तकें ही पढ़ाई जाये।
7–विद्यालय में शिक्षा हिन्दी माध्यम से ही दी जाये।
8–विद्यालय में निर्धारित अध्यापक / अध्यापिकाओं ही नियुक्त किये जायें।
9–विद्यालय में निर्धारित नाम के पक्थे कररे उपलब्ध होने आवश्यक है।
10–यदि विद्यालय किसी अन्य विद्यालय से संबद्ध होई होगा।

शासनादेश से निहित मान्यता के अनुसार आपके विद्यालय में निम्नलिखित शिक्षक एवं शिक्षणोत्तर कर्मचारियों के पद अनुमत्त होंगे–

प्रधानाध्यापक–	एक पद
सहायक अध्यापक–	चार पद
लिपिक–	एक पद
चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी–	एक पद

उक्त अस्थायी मान्यता / स्तर / स्तर / क्रमपद अध्यापक कमिति के मान्य कियी / शासनोत्तर / वित्त; विके आदेशों का पालन न करने की स्थिति में मान्यता प्रत्यारश्ण का अधिकार परिषदद कार्यालय को होगा।

(वाचष्पक कुमार सिंह)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
बिजनौर।

पत्रांक / बेसिक / /2007–08 तदिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखेंत को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– सचिव, उ0प्र0, बेसिक शिक्षा परिषद, इलाहाबाद।
2– मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेंशक (बेसिक), द्वावरा मण्डल, मुरादाबाद।
3– जिला समाग कल्याण अधिकारी / जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी / जिला पिछड़वर्ग कल्याण अधिकारी, जनपद – बिजनौर।
4– संबंधित सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी / नगर शिक्षा अधिकारी, जनपद – बिजनौर।

(वाचष्पक कुमार सिंह)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
बिजनौर।